राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/69

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111–128 प्रार्थना-पत्र	46/25	27/2/25		17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री मुली पत्नी स्व. भावसिंह .... श्री रामपाल पुत्र नारायण ....

निवासी जोलेरी .... निवासी रतनपुरा ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार   मदयून

श्री सुनील जोशी .... श्री ....

FORM NO. III
फर्द अहकम
नियम 26

Crim I

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

मुली बनाम रामपाल

किस्म मुकदमा 111-123 प्रकरण संख्या 46 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 17/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को वास्ते उचित आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की चस्पा तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियॉं, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 46/25

तारीख दायर 27/02/25

मुली पत्नि स्व0 भावसिंह जी जाति बंजारा उम्र व्यसक निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थीया

रामपाल पुत्र नारायण जाति कलाल उम्र व्यस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

...............विपक्षी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेश:–

दिनांक :– 24/3/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थीया मुली बंजारा ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 301 पर स्थित आराजी संख्या 1296/25 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073–2076** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 301 पर स्थित आराजी संख्या 1296/25 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियॉं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

करण संख्या :- 4-6/25 तारीख दायर 27/2/25

षिति :-

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :- प्रकरण संख्या .... 46/25 ....
प्रत्थरगढी बाबत्।

मुली पत्नि स्व0 भावसिंह जी जाति बंजारा उम्र व्यसक निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थीया

रामपाल पुत्र नारायण जाति कलाल उम्र व्यस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

...............विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 301 पर स्थित आराजी संख्या 1296/25 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस [illegible] तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी ए[illegible] विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा